राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

जले हुये अज्ञात शव का पता लगा कर हत्या के प्रकरण का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार

जयपुर, 13 नवम्बर। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम श्री अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि दिनांक 11 नवम्बर को थाना भांकरोटा क्षेत्र के केशुपुरा में सुनसान जगह में मिले अज्ञात जले हुये शव की पहचान कर घटना का 48 घंटे में पर्दाफाश करते हुये पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना के संबन्ध मे पुलिस उपायुक्त पश्चिम श्री गुप्ता ने बताया कि दिनांक 11.11.2017 को थाना भांकरोटा क्षेत्र की केशुपुरा गांव के पास सुनसान खाली जमीन में मलबे के ढेरों के बीच एक जले हुये शव की सूचना ग्रामीणों द्वारा दिये जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची जहां एक अधजली अवस्था मे अज्ञात युवक उम्र करीब 25 साल का शव मिला। घटना स्थल पर पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम व अन्य उच्चाधिकारी भी पहुंचे तथा मौका मुआयना कर आवश्यक निर्देश दिये। घटना स्थल के निरीक्षण से अज्ञात मृतक की हत्या कही अन्यत्र कर शव की पहचना मिटाने के लिये शव को घटना स्थल पर लाकर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने का मामला पाया गया। जिस पर ग्राम केशुपुरा निवासी श्री रमेश चन्द द्वारा पेश रिपोर्ट पर धारा 302, 201 भा.दं.सं. में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। घटना का पर्दाफाश करने हेतु श्री रतन सिंह, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम के निर्देशन में श्री रामावतार सोनी, सहायक पुलिस आयुक्त, वैशालीनगर व श्री हेमेन्द्र शर्मा थानाधिकारी पुलिस थाना भांकरोंटा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम में उप निरीक्षक श्री जगमाल सिंह,श्री जगदीश मीणा, हैड कानिस्टेबल श्री राजेन्द्र सिंह कानिस्टेबल श्री हरिनारायण, श्री महिपाल सिंह, श्री सिद्धार्थ सिंह, श्री अजीत सिंह, श्री नरेन्द्र कुमार व श्री यादराम को शामिल किया गया।

गठित टीम द्वारा अज्ञात मृतक की पहचान एवं घटना के बारे में जानकारी हेतु ईलाका थाना व आस पास के क्षेत्रों में मालूमात की गई। घटना स्थल की तरफ आने जाने वाले रास्तों के सीसीटीवी कैमरा चैक किये व मुखबिरों से सम्पर्क किया। घटना के दिन दोपहर में ही टीम के सदस्य कानिस्टेबल श्री हरिनारायण ने सूचना दी कि गांव मोहनपुरा पृथ्वीसिंह, थाना फागी का रहने वाला गोपाल जाट जो सिरसी रोड भांकरोंटा में वाटर प्लांट लगाकर पानी सप्लाई का काम करता है, कल शाम से ही गायब है। उसके गांव नरोतमपुरा थाना भांकरोटा में रिश्तेदार उसे ढूंढ रहे हैं। गोपाल जाट के बुआ के लडके रामनिवास व अन्य रिश्तेदारों को थाने पर बुलाया गया। सहायक पुलिस आयुक्त वैशालीनगर जयपुर पश्चिम व थानाधिकारी भांकरोटा द्वारा अपनी टीम के साथ गोपाल के रिश्तेदार के साथ उसे हर संभव तलाश किया। मृतक की लाश के फोटोग्राफ व लाश को एस.एम.एस मुर्दाघर में उन्हें दिखाया, जिस पर रामनिवास व अन्य लोगों ने मृतक के गोपाल लाल जाट पुत्र श्री सूरजकरण जाट निवासी गांव मोहनपुरा पृथ्वीसिह थाना फागी का होने की संभावना जताई। गोपाल के परिजनों को सूचित किया। मामले की गम्भीरता को देखते हुये गोपाल लाल व उसके खास दोस्तो के बारे में जानकारी एक़त्र की गई। कल गोपाल लाल के पिता व परिजनों के आने पर मृतक की पहचान उन्होंने गोपाल जाट के रूप में की। जिस पर मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाकर लाश वारिसान को सुपुर्द की गई।

मुखबिरों से प्राप्त जानकारी व तकनीकी जानकारी के आधार पर मृतक के खास मित्र जसवीर सिंह पुत्र श्री आत्माराम जाट निवासी बहलोल नगर थाना सदर, हनुमानगढ हाल ई–मित्र संचालक को हिरासत में लेकर कडाई से पूछताछ करने पर उसने अपने कमरे पर मृतक को ले जाकर गोली मार कर हत्या करना और सुनसान जगह पर ले जाकर पेट्रोल डाल कर जलाना स्वीकार किया है। मृतक गोपाल और अभियुक्त जसवीर सिंह पूर्व में परिचित व मित्र थे। जसवीर सिंह की होने वाली मंगेतर से गोपाल फोन पर बात करता था तथा जसवीर को संदेह था कि गोपाल के उस युवती से नाजायज सम्बन्ध है। इसीलिये उसने अपने मित्र की हत्या की योजना बनाई। गोपाल बिल वगैराह भरने के लिये जसवीर सिंह के ई–मित्र कियोस्क पर आया जाया करता था। घटना के दिन जसवीर सिंह दिन में गोपाल के वाटर प्लान्ट पर मिलने गया था तथा शाम को करीब 7 बजे उसे अपने साथ मोटर साईकिल पर बिठा कर सिरसी रोड स्थित वाटर प्लान्ट से कमला नेहरू नगर स्थित अपने कमरे पर लाया। वहां पर आते ही अभियुक्त जसवीर ने गोपाल को देशी कट्टे से गोली मार कर हत्या की व वहाँ से करीब 250 मीटर दूर सुनसान स्थान पर लाश को डाल कर उपर पेट्रोल डाल कर शव को जला दिया। शव के पोस्ट मार्टम के बाद डी.एन.ए. सैम्पल भी लिये गये है। जिस पर मुलजिम जसवीर सिह को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम से गहन अनुसंधान जारी है। इस कांड के खुलासे मे एसीपी कार्यालय वैशालीनगर, जयपुर पश्चिम मे तैनात कानिस्टेबल श्री हरिनारायण का अहम योगदान रहा है। इस वारदात के खुलासे में सराहनीय योगदान देने पर कानिस्टेबल श्री हरिनारायण को 500/–रूपये तथा शेष टीम के सदस्यों को 100–100 रूपये नगद ईनाम व प्रशंसा पत्र दिया जायेगा। अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर पुलिस कस्टडी रिमाण्ड प्राप्त किया जायेगा तथा प्रकरण में पूछताछ की जायेगी।